(c) whether the demand of the people of Kerala will be fulfilled by introducing a supcrfast train to and from Trivandrum?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) At present, Kerala is connected with Calcutta by 3 direct trains viz.

(a) 6321/6322 Trivandrum-Guwahati Express (Weekly)

(b) 6323/6324 Trivendrum-Howrah Express (bi-weekly)

(c) 5623/5624 Cochin-Guwahati Express (weekly)

No, Sir. However on certain occasions trains do run late due to aggitation/ bandhs, accidents, alarm-chain-pulling, miscreant-activity, bad weather, power grid failures, etc.

(c) There is no such proposal at present.

सुपरफास्ट गाड़ियों की प्रति कि. मि. गति

3510. **श्री ईश दत्त यादवः**

श्री राम गोपाल यादवः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितनी सुपरफास्ट गाड़ियां हैं और उनकी प्रति कि. मी. गति क्या है;

(ख) क्या सुपरफास्ट गाड़ियों को उनकी गति के अनुसार चलाया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और क्या सरकार इन सुपरफास्ट गाड़ियों में लिए जा रहे अतिरिक्त किराए को कम करना चाहेगि; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक):

(क) 57 दोड़ी सुपरफास्ट गाड़ियां हैं, जिनकी औसत गति 55 कि.मी. अथवा इससे अधिक है

(ख) जी हां,।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वी. आई. पी. आरक्षण हेतु मानदंड

3511. **श्री चुन्नी लाल चौधरीः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वी आई. पी. आरक्षण के लिए मानदंड क्या है;

(ख) क्या संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत व्यक्तियों के लिए रेल आरक्षण हेतु कोई कोटा है;

(ग) यदि हां, तो संसद सदस्य द्वारा संस्तुत व्यक्तियों को आरक्षण न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत व्यक्तियों को आरक्षण न मिल पाने की स्थिति में उसकी सूचना संबंधित संसद सदस्य को जाती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक):

(क) उच्च पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदो/विधायकों अति विशिष्ट व्यक्तियों की मांग पर्चियों तथा अन्य आपातिक मांग की तात्कालिक यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन कोटे के रूप में समिति संख्या में शायिकाएं/सीटें निर्धारित की गई है। उच्च पदाधिकारियों की मांग पर्चियों और संसद सदस्यों की अपनी स्वयं की यात्रा को प्राथमिकता दी जाती है। तत्पश्चात शेष बचे कोटे को अन्य अनुसोधों के पक्ष में जारी किया जाता है जिसमें यात्री की हैसियत, तात्कालिता के किस्म यथा सरकारी डयूटी पर यात्रा, परिवार में शोक, बीमारी आदि को ध्यान में रखा जाता है

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आपातकालीन कोटा सामान्यतः गाड़ी छूटने के चार से छह घंटे पूर्व जारी किया जाता है। बहरहाल उन गाड़ियों के मामलों में, जिनके छूटने का समय अगली सुबह या 16.00 बजे तक होता है, कोटा एक दिन पूर्व जारी किया जाता है। चूंकि सांसदों सहित विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं, इसलिए इन अनुरोधों पर सीटों के अनुरोधों पर सीटों के अनाबंटन के बारे में सूचना देना कठिन है।